न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 40 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 13.07.2022

1–श्योजी पुत्र घासी जाति मीणा निवासी घांसडी तहसील व जिला टोंक
2–कानजी पुत्र घासी जाति मीणा निवासी घांसडी तहसील व जिला टोंक
3–कमलेश पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी घांसडी तहसील व जिला टोंक
4–कन्हैयालाल पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी घांसडी तहसील व जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

जनमेज राणा पुत्र प्रभूलाल जाति ढोली निवासी पीली तलाई टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनांक 22.06.2022 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी जनमेज बनाम कालू आदि

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री औम प्रकाश राजोरा,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 26.03.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 22.06.2022 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 105/3 मे से रकबा 1.0117 हे.भूमि वाके ग्राम घासडी पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का,भूमि का सीमाज्ञान कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण मे राजस्व रिकार्ड तथा मौके की वास्तविक स्थिति तथा भूमि की उपयोगिता के बारे मे तथा कब्जे की भोतिक स्थिति के बारे मे किसी भी

जिला कलेक्टर

प्रकार से वास्तविक जांच नही की,केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त रिपोर्ट का गलत निष्कर्ष निकाल कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। धारा 183(बी) राज. टि. एक्ट के तहत सबसे आवयश्क तथा आज्ञापक प्रावधान यह है कि जिस भूमि के सम्बन्ध मे प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उस पर कभी उसका कब्जा रहा हो तथा यह साबित करना आवयश्क है कि उसको किस दिनांक को तथा वर्ष को मोके पर से बेदखल किया गया था तथा किस दिनांक से उसकी भूमि पर कब्जा बतोर अतिक्रमण के चला आ रहा है तथा यह भी आवयश्क है कि 12 वर्ष की अवधि मे बेदखली के लिऐ प्रार्थना पत्र लाया गया है या नही अर्थात मियाद का प्रश्न आज्ञापक है, इस प्रकरण मे इन बातों का पूर्ण रूप से अभाव है तथा तहसीलदार ने इस कानूनी महत्वपूर्ण प्रश्न को नजर अन्दाज करते हुऐ अपनी मनमर्जी से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है, जमाबन्दी मे उसके नाम बिना कब्जे के नुमाईशी तोर पर खातेदारी का अंकन किया हुआ है उसने जमाबन्दी मे ख.न. 105/3 की खातेदारी अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर कानून के खिलाफ जाकर अब मौके पर कब्जा प्राप्त करने के लिऐ झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, ऐसा प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) की परिधि में नही आता है।वास्तविकता यह है कि सन् 1975 मे गोपी पुत्र कल्याण को दिनाक 10.12.1975 को ख.न. 105/4 मे 8 बीघा भूमि आवंटन कर दिनांक 13.12.1975 को तरमीम की गयी थी। जिसका कभी कब्जा नही रहा,परन्तु अलाटमेन्ट के आधार पर ख.न. 105/3 का नामान्तरकरण भर दिया जो पृथम दृष्टया ही विधि–विधान के विपरीत है, ख.न. 105/3 की भूमि में ग्राम पंचायत के खर्चे से एनिकट तथा नाला पानी की आवक के लिऐ बना हुआ है जो उक्त भूमि ख.न. 105/3 मे होकर निकलता है, ख.न. 105/3 की भूमि काबिल काश्त भूमि नही है तथा यह नाकाबिल काश्त भूमि है, ख. न. 105/3 उसको कभी आवंटन नही हुआ तथा कब्जा नही रहा।ख.न. 105/4 बाद में जगन्नाथ पुत्र सुख्खा को अतिक्रमण के आधार पर आवंटन किया गया था। ख.न. 105/6 मदन पुत्र घासी को तथा ख.न. 105/7 गोपी पुत्र कल्याण को पुनः 1 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया जो मोके की स्थिति के विपरीत है,तहसीलदार जो कि लैण्ड होल्डर है तथा उसके अधीनस्थ गिरदावर व पटवारी ने भी इस बात की जाचं नहीं की। ख.न. 105/3 की भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है जिसमे एनिकट तथा पानी के बहाव का नाला बना हुआ है, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व आई. एल. आर ने पक्षकारान की गैर मौजूदगी में बनायी है। रेस्पोडेन्ट ने झूठा प्रार्थना पत्र तहसीलदार के यहां प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेण्ट ग्राम घांसडी मे नही रहा तथा उसके पूर्वज भी नही रहे है। वह मोहल्ला पीली तलाई टोंक मे रहता है। रेस्पोडेण्ट बिना कब्जे के अब नाजायज तरीका अपनाकर काबिज होना चाहता है। पटवारी हल्का ने अपीलांट्स के विरूद्व गलत रिपोर्ट पेश कि है। अपीलांट्स का खसरा नम्बर 105/3 पर कभी भी कब्जा नही रहा है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोगो के हित मे सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेण्ट की खातेदारी

जिला कलेक्टर

की भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2072–2075 वाके ग्राम घासडी तहसील टोंक मे आराजी खसरा 105/3 रकबा 2.0234 भूमि हिस्सा 4/5 रेस्पोडेण्ट की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुये,शास्ति कायम कर उक्त भूमि से बेदखल कर,भूमि का सीमाज्ञान कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किये जाने का आदेश पारित किया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण मे राजस्व रिकार्ड तथा मौके की वास्तविक स्थिति की जांच नही कि है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। गोपी पुत्र कल्याण को दिनाक 10.12.1975 को ख.न. 105/4 मे 8 बीघा भूमि आवंटन कर दिनांक 13.12.1975 को तरमीम की गयी थी,जिसका कभी कब्जा नही रहा,परन्तु अलाटमेन्ट के आधार पर ख.न. 105/3 का नामान्तरकरण भर दिया गया है। ख.न. 105/3 की भूमि में ग्राम पंचायत के खर्चे से एनिकट पानी की आवक के लिऐ बना हुआ है। ख.न. 105/3 की भूमि काबिल काश्त भूमि नही है।ख.न.105/3 की भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है। पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट पक्षकारान की गैर मौजूदगी में बनायी है। रेस्पोडेण्ट तथा उसके पूर्वज ग्राम घांसडी मे निवास ना कर मोहल्ला पीली तलाई टोंक मे निवास करते है। पटवारी हल्का ने अपीलांट्स के विरूद्व गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलांट्स का खसरा नम्बर 105/3 पर कभी भी कब्जा नही रहा है।

परन्तु पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 03.02.2022 मे अपीलांट्स ने सरसो व गेहूँ की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है,शेष भूमि मे नाला भी है और पडत भी पडी हुई का उल्लेख है। खसरा नम्बर 105/3 के साबिक खसरा नम्बर कितने थे,पत्रावली पर रिकार्ड नही है। ख.न. 105/3 की भूमि में ग्राम पंचायत ने अपने बजट/खर्चे पर एनिकट का निर्माण करवाया गया हो के भी दस्तावेजात नही है। नकल जमाबंदी सम्वंत 2072–2075 वाके ग्राम घासडी मे खसरा नम्बर 105/3 कि किस्म बारानी–2 अंकित है। यह जरूरी नही है कि जिस ग्राम मे भूमि हो खातेदार उसी ग्राम मे निवास करे।

अभिभाषक अपीलांट्स ने यह भी कथन किया है कि गोपी पुत्र कल्याण को दिनाक 10.12.1975 को ख.न. 105/4 मे 8 बीघा भूमि का आवंटन नियमानुसार नही हुआ है। अपीलांट्स नियमानुसार न्यायालय हाजा मे उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु 14(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है और इस आवंटन बाबत न्यायालय हाजा मे 14(4) का प्रार्थना पत्र विचाराधीन भी है तो उस प्रार्थना पत्र पर न्यायालय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर विधिसम्वत निर्णय पारित करेगा। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस मे उक्त भूमि पर अपीलांट्स द्वारा सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है,परन्तु न्यायालय हाजा मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 31/2023 उनवान कमलेश बनाम जनमेज मे तहसीलदार टोंक ने अपने पत्र कमांक 1401 दिनांक 14.12.2023 से खसरा नम्बर 105/3 रकबा 2.0234 हे. मे से 0.2030 है. का कब्जा/अतिक्रमण हटाने के संबंध मे उक्त भूमि का वर्तमान मौका निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि वर्तमान ,मे मौके

जिला कलेक्टर
टोंक

पर खाली हैं, कि रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति मे भूमि की वर्तमान भौतिक स्थिति पर विरोधाभास पैदा होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अभिभाषक अपीलांटस का यह भी तर्क रहा हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की वास्तविक स्थिति के बारे में तथा कब्जे की भौतिक स्थिति के बारे में किसी प्रकार वास्तविक जांच नहीं की है, केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही उक्त रिपोर्ट का गलत निष्कर्ष निकालकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार की जाती है कि निर्णय से पहले पुनः मौका रिपोर्ट की आवश्यकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.06.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार टोंक को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड तथा मौके की वास्तविक स्थिति तथा कब्जे की भौतिक स्थिति के बारे में स्वंय जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा) .
जिला कलक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक